रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड ( ii )
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75 ] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 3, 2000/माघ 14, 1921
No. 75 ] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 3, 2000/MAGHA 14, 1921

## पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

## आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2000

**का.आ. 103( अ ).**— केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक अरूणाचल प्रदेश वन संरक्षण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:-

| | | |
|---|---|---|
| (1) | श्री पी.एम.नायर, मुख्य सचिव, अरूणाचल प्रदेश | अध्यक्ष |
| (2) | श्री एम.सी.घिल्डियाल, वर्तमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तरांचल | सदस्य |
| (3) | श्री एस.आर.मेहता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरूणाचल प्रदेश | सदस्य |
| (4) | श्री प्रमोद कान्त,क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पूर्वोततर क्षेत्र शिलांग | सदस्य-सचिव |

2. प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्य करेगा तथा वनों और पर्यावरण के संरक्षण के लए आवश्यक निदेश देगा-

(i) उक्त अधिनियम की धारा (3) की उपधारा (2) के खंड (i),(iii),(v),(vi), (x), (xiii) और (xiv) में उल्लिखित विषयों के संबंध में निदेश जारी करने तथा उपाय करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना।

(ii) निम्नलिखित के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर 1995 की सिविल रिट याचिका सं0 202 में दिए गए निदेशों के अनुसार यथा-समय कार्यान्वयन को मानीटर करना तथा आवश्यक निदेश जारी करनाः-

(क) राज्य में काट कर गिराई गई इमारती लकड़ी का व्ययन;
(ख) राज्य में सतत आधार पर कार्य कर सकने वाले काष्ठ आधारित उद्योगों की संख्या अवधारित करना ;
(ग) परिलक्षित औद्योगिक सम्पदाओं का अनुमोदन ;
(घ) काष्ठ आधारित उद्योगों का पुनर्स्थापन और अनुज्ञापन;
(ङ) वनों का वैज्ञानिक प्रबंध ;
(च) इमारती लकड़ी की कीमत और स्वामित्व का नियतन;
(छ) वृक्षों के अवैध कटान के महत्वपूर्ण मामलों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करना;
(ज) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकारी को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय जो वन एवं पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंध तथा काष्ठ आधारित उद्योगों के कार्यकरण से संबंधित हो ।

3. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण तथा नियंत्रण के अधीन होंगे ।

4. प्राधिकरण दो मास में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों के बारे में केन्द्रीय सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

5. प्राधिकरण में उपरोक्त यथा नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्य अपने सामान्य शासकीय कर्तव्यों के अतरिक्त उपरोल्लिखित कृत्य करेंगे ।

6. आदेश के पैरा 2 के अधीन की गई किसी कार्रवाई के संबंध में प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

7. प्राधिकरण की अधिकारिता अरूणाचल प्रदेश राज्य पर होगी ।

8. प्राधिकरण का मुख्यालय ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश में होगा ।

[फा. सं. 13-21/98-एस.यू.]

एस.सी. शर्मा, अतिरिक्त वन महानिरीक्षक

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**

**ORDER**

New Delhi, the 2nd February, 2000

**S.O. 103(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986), hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as Arunachal Pradesh Forest Protection Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of following persons for a period of one year with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely.-

i) Shri P.M.Nair, Chief Secretary, Arunachal Pradesh - Chairman

ii) Shri M.C.Gildiyal, ( presently Principal Chief Conservator of Forests Uttaranchal) - Member

iii) Shri S R Mehta , Principal Chief Conservator of Forests, Arunachal Pradesh - Member

iv) Shri Promode Kant, Regional Chief Conservator of Forests, North-East Region, Shillong - Member Secretary

2. The Authority shall exercise the following powers and perform such functions and give necessary directions for protecting forest and environment, namely:-

i) exercise the powers under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 for issuing directions and for taking measures with respect to matters referred to in clause (i), (iii), (v), (vi) (x), (xiii) and (xiv) of sub-section(2) of the section (3) of the said Act

ii) monitor and issue necessary directions for the timely implementation of directives given by the Supreme Court in Civil Writ Petition No 202 of 1995 from time to time, including and in respect of.

a) disposal of felled timber in the State;
b) to determine the number of wood-based industries which can operate in the State on a sustainable basis,
c) approval of identified industrial estates,
d) relocation and licensing of wood based industries;
e) scientific management of forests;
f) pricing of timber and fixation of royalty;
g) action against those responsible for significant illegal felling;
h) any other matter pertaining to protection and management of forest and environment and working of wood based industries as may be referred to the authority by the Central Government.

3) The foregoing powers and functions of the authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

4) The Authority shall furnish a progress report about its activities at least once in two months to the Central Government

5) The Chairman and members of the Authority as appointed above, shall carry out the functions mentioned above, in addition to the normal official duties.

6) The Authority shall exercise the powers conferred under section 10 of the said Act, in respect of any action taken under para 2 of the order.

7) The Authority shall have the jurisdiction over the State of Arunachal Pradesh.

8) The Authority shall have its headquarters at Itanagar, Arunachal Pradesh.

[F No. 13-21/98-SU]

S.C. SHARMA, Addl Inspector General of Forests

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054